

प्र.का. प्लॉट स.4, सेक्टर.10, द्वारका,
नई दिल्ली-110075

Head Office : Plot No.4, Sector 10, Dwarka,
New Delhi-110 075

असाधारण आम बैठक **EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

दिनांक : सोमवार, 04 नवम्बर, 2019 प्रातः 10.00 : बजे

DATE: MONDAY, 04TH NOVEMBER 2019 AT 10.00 A.M.

स्थान :

पंजाब नैशनल बैंक
मल्टीपुर्पज हाल, प्रधान कार्यालय
प्लॉट स.4, सेक्टर.10, द्वारका,
नई दिल्ली-110075

Venue :

PUNJAB NATIONAL BANK
MULTIPURPOSE HALL, HEAD OFFICE
PLOT NO.4, SECTOR 10, DWARKA,
NEW DELHI-110 075

**विषय वस्तु
CONTENTS**

पृष्ठ सं.
Page No.

सूचना NOTICE	1-2
टिप्पणियाँ NOTES	3-7
व्याख्यात्मक कथन EXPLANATORY STATEMENT.....	7-8
प्रॉक्सी फार्म PROXY FORM	9-10
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	11

**कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियाँ
IMPORTANT CALENDER OR EVENTS**

असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों के भाग लेने/वोटिंग की पात्रता का पता लगाने के लिए कटऑफ तिथि Cut-off date for ascertaining the entitlement of shareholders for attending the EGM	सोमवार, 28 अक्टूबर, 2019 Monday, 28 th October, 2019
ई-वोटिंग की अवधि Period of e-voting	01/11/2019 से 03/11/2019 01/11/2019 to 03/11/2019
प्रॉक्सी फार्मों व प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति का संकल्प जमा करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of Proxy Forms and Resolutions appointing Authorized Representatives	बुधवार, 30 अक्टूबर, 2019 Wednesday, 30 th October, 2019

प्रधान कार्यालय : प्लाट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली — 110075

(ई-मेल: hosd@pnb.co.in)

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसार पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) सोमवार, 4 नवम्बर 2019 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लाट संख्या-4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली — 110075 में संपन्न होगी जिसमें निम्नलिखित विशेष मदों पर विचार-विमर्श किया जायेगा :-

1. अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों का निर्गम

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

संकल्प:

“संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में ‘**योजना**’ कहा जायेगा) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 2000 जिसे इसके बाद ‘विनियमन’ कहा जाएगा, के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में ‘**अधिनियम**’ कहा जायेगा) प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) और अथवा इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी सम्बन्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद इस संकल्प में ‘निदेशक मंडल’ कहा गया है, जिसके संबंध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो) बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाती है कि

सेबी आईसीडीआर विनियमन 2018 के विनियम 164(1) के अनुरूप निर्धारित रु.73.42 प्रति शेयर प्रीमियम पर पुर्णतः चुकता अंकित मूल्य रु. 2/- प्रत्येक के 2,13,35,18,960 इक्विटी शेयर, जिनकी कुल राशि रु.16091 करोड़ (रुपए सोलह हजार इक्यानवे करोड़ मात्र) होगी, अधिमान आधार पर भारत सरकार के लिए सृजित, प्रस्ताव, जारी एवं आवंटित करें

“यह भी संकल्प किया जाता है ” ऊपर उल्लिखित इक्विटी शेयरों के जारीकरण के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु सेबी (आईसीडीआर विनियम) समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार, अधिमान्य जारीकरण के लिए प्रासंगिक तिथि, असाधारण आम बैठक की तिथि से 30 दिन पहले की तिथि 04.10.2019 होगी (05.10.2019 को सप्ताहांत के कारण)।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक सेबी जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अथवा लगाये गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वीकार करें।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान्यता आधार पर निर्गत एवं आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में जारी किए जाएंगे और सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2018 के अध्याय V के प्रावधानों के अंतर्गत यथावश्यक लॉक-इन अपेक्षाओं के विषयाधीन होंगे और ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से (घोषित लाभांश सहित, यदि कोई हो) सम मात्रा रैंक के होंगे।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें, आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझें जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित

Head Office : Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075
(Email: hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of PUNJAB NATIONAL BANK will be held on Monday, 04th November, 2019 at 10.00 A.M. at Multipurpose Hall of Punjab National Bank, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075 to transact the following Special business:

1. Issue of Equity Shares on preferential basis

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution(s) as Special Resolution(s):

RESOLUTIONS:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the '**Act**') read with the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the '**Scheme**') and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the '**Regulations**') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (**RBI**), Government of India (**GOI**), Securities and Exchange Board of India (**SEBI**), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**SEBI ICDR Regulations**), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**SEBI LODR Regulations**) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the "**Board**") which shall deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) **to create, offer, issue and allot 2,13,35,18,960 Equity Shares of face value of Rs.2/- each fully paid at a premium of Rs.73.42 per share determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2018 amounting up to Rs. 16,091 crore (Rupees Sixteen Thousand Ninety One Crore only) to Govt. of India on preferential basis.**

“RESOLVED FURTHER THAT the **Relevant Date** for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations), as amended from time to time, for the determination of minimum price for the issue of the above mentioned Equity Shares shall be 04.10.2019, being the date 30 days prior to the date of Extraordinary General Meeting (05.10.2019 being weekend).

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements as required under Chapter V of the "SEBI ICDR Regulations" 2018, and shall rank *pari passu* in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory

हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके संबंध में अपना अनुमोदन दे दिया है ।’

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) अथवा ऐसे अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें।”

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक



(पी के शर्मा)
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.10.2019

guidelines/regulations / notifications / clarifications that are in force at the time of such declaration issued by SEBI in this regard"

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and CEO or Executive Directors or Chief Finance Officer (CFO) or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

**By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank**



**(P K Sharma)
Chief Finance Officer**

**Place: New Delhi
Date: 03.10.2019**

टिप्पणियाँ :

1. बैंक ने नोटिस प्रेषित करने हेतु कट-ऑफ तिथि दिनांक **27.09.2019** निर्धारित की है।
2. उपर्युक्त बैठक का विस्तृत नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रॉक्सी फार्म तथा उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पत्र आदि बैंक की वेबसाइट **www.pnbindia.in** (निवेशक सूचना परिशिष्ट) पर डाउनलोड करने के लिए भी उपलब्ध है।
3. सूचना में दी गयी कार्यसूची से संबंधित व्याख्यात्मक कथन इसके साथ संलग्न है।

4. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी की बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र प्रभावी होने के लिए **कम्पनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075** को संबोधित किए जाएं और बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 30 अक्टूबर, 2019 को कार्यसमय की समाप्ति अर्थात् सांय 5.00 बजे से पहले बैंक को अवश्य प्राप्त हो जाए। इस तरह से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा किंतु वह ग्रांटर की ओर से बैठक में भाग ले सकता है एवं वोट दे सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक ईजीएम में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की सत्यप्रति को प्रमाणित न करें उक्त सत्यप्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय **कम्पनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075** में, बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 30 अक्टूबर, 2019 को कार्य समय की समाप्ति अर्थात् सांय 5.00 बजे से पहले अवश्य जमा करा दी जाए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कर्मचारी या अधिकारी है, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

6. उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास :

वैध उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास एवं उचित पहचान के आधार पर ही बैठक स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में उचित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें व बैठक स्थल पर इसे सुपुर्द करें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में "प्रॉक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करें।

7. शेयरधारक कृपया नोट करे कि बैठक स्थल पर कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

8. वोटिंग अधिकार

- क. एजेंडा मदों के लिए वोट देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ 28.10.2019 निर्धारित की है। पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट-ऑफ तिथि अर्थात् 28.10.2019 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, उसे अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकार होगा।
- ख. कोई व्यक्ति जिसका नाम केवल कट-ऑफ की तारीख तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा मंटेन किए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया हो को, ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या इन्स्टा पोल सुविधा, जैसा भी मामला हो, का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- ग. सदस्य जिसने बैठक से पहले रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वह बैठक में भाग ले सकता है किन्तु दोबारा वोट नहीं कर सकेगा।
- घ. सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि तक बैंक की पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयर के अनुपात में होगा।
- ड. बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 10% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है।

NOTES:

1. The Bank has fixed 27.09.2019 as the cut-off date for dispatch of notice.
2. Detailed notice of the aforesaid meeting containing, inter-alia, formats of, Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc are also available for downloading from the website of the Bank viz. www.pnbindia.in (Investor's Info Page)
3. The relevant explanatory Statement in respect of agenda is annexed hereto.

4. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank. The Proxy Form/ Authorized Representative Letter, in order to be effective, must be received by the Bank addressed to **the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075**, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e 5.00 P.M. on Wednesday 30th October, 2019. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor. No person shall be appointed as a Proxy who is an officer or an employee of the Bank.

5. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the EGM as a duly authorized representative of any body-corporate, which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank addressed to **the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075**, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e 5.00 P.M. on Wednesday 30th October, 2019. No person shall be appointed as an authorised representative who is an officer or an employee of the Bank.

6. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid attendance slip cum entry pass with proper identification. For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

7. Shareholders may kindly note that no gifts / gift coupon will be distributed at the meeting.**8. VOTING RIGHTS**

- a. The cut-off date for determining the eligibility of shareholders to exercise voting for Agenda item is 28.10.2019. As per Regulation 68 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date as determined by the Bank i.e. 28.10.2019 shall have one vote for each share held by him/her.
- b. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or the insta poll facility at the EGM, as the case may be.
- c. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- d. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date.

च. विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम है, तो रजिस्टर में दर्ज पहला नामित व्यक्ति, मतदान के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।

9. ई वोटिंग के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के तहत शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है और वे अपने वोट का प्रयोग इलेक्ट्रानिक साधन के द्वारा कर सकते हैं।

नोटिस में दिए गए मदों को इलेक्ट्रानिक वोटिंग प्रणाली के द्वारा निष्पादित किया जाएगा तथा इलेक्ट्रानिक माध्यमों से वोटिंग की सुविधा बैंक उपलब्ध करा रही है।

10. मतदान प्रक्रिया

इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान

- i) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 यथासंशोधित के नियम 20 के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक शेयरधारकों को आगामी ईजीएम में विचारणीय सकल्पों पर इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान करने की सुविधा दे रहा है और यह कार्यनिष्पादन नेशनल सिन्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड(एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दिया जा रहा है। सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम का प्रयोग करके बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी कर सकते हैं (रिमोट ई-वोटिंग) रिमोट ई-वोटिंग और आम बैठक में वोट देने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि **28.10.2019** है।
- ii) वोटिंग की सुविधा बैठक में भी उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, बैठक में अपना वोटिंग अधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
- iii) जो सदस्य बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुनः अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे
- iv) रिमोट ई वोटिंग के लिए निर्देश निम्नवत है :
 - (i) रिमोट ई वोटिंग की अवधि 01.11.2019 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 03.11.2019 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि में कट-ऑफ तिथि (रिकार्ड तिथि) 28.10.2019 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारण करते हो या डिमेटेरियालाइज्ड रूप में, वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल हटा दिया जाएगा।
 - (ii) रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और शैली का विवरण नीचे दिया गया है:

चरण 1: शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर लॉग ऑन करना चाहिए।

चरण 2: शेयरधारक को तब एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रानिक रूप से वोट डालना चाहिए।

चरण 1 पर विवरण नीचे वर्णित है :

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल: <https://www.evoting.nsdl.com> टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें।
2. एकबार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने जाने के बाद, 'लॉगइन' आइकॉन पर क्लिक करें जोकि 'शेयरहोल्डर्स' सेक्शन के तहत उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी, अपना पासवर्ड और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड दर्ज करना होगा। वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल सेवाओं यानी आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद

- e. In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended) no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- f. As per Regulation 10, if any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

9. Exercise Of Voting Rights Through E-Voting

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

The business set out in the Notice will be transacted through electronic voting system and the Bank is providing facility for voting by electronic means.

10. Voting Process

Voting Through Electronic Means

- I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered in the Meeting by electronic means through e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL) and voting at the general meeting. The Cut-off Date for determining the eligibility of shareholders to exercise remote e-voting and voting at general meeting is 28.10.2019
- II. That the facility for voting shall also be made available at the meeting & members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.
- III. That the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The instructions for remote e-voting are as under
 - (i) The remote e-voting period begins on 01.11.2019 (9:00 am) and ends on 03.11.2019 (5:00 pm). During this period, shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 28.10.2019, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.
 - (ii) The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:
Step 1: The shareholders should log on to the e-voting website <https://www.evoting.nsdl.com>
Step 2: The shareholder should then cast the vote electronically on NSDL e-voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon 'Login' which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

एनएसडीएल की ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। आप एनएसडीएल के मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

4. आपके यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है:
ए) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 डिजिट क्लाइंट आईडी के अनुसार 8 कैरेक्टर डीपी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और क्लाइंट आईडी 12***** है तो आपका यूजर आई डी IN300***12***** होगा।
बी) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों की बेनफिशिएरी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी बेनफिशिएरी आईडी 12***** है तो आपका यूजर आई डी 12***** होगा।
सी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के अनुसार इवन नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आई डी 101456001*** होगा।

5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

- ए) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।
- बी) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, तो evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करें या आप एनएसडीएल हेल्पडेस्क 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं।

6. यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या भूल चुके हैं:

- ए) 'Forgot User Details/Password?' पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।
- बी) 'Physical User Reset Password?' (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsbl.com पर उपलब्ध है।
- सी) यदि आप अभी भी दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।
- (डी) सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर 'Terms and Conditions' पर Agree पर टिक करें।

8. अब, आपको 'Login' बटन पर क्लिक करना होगा।

9. 'Login' बटन पर क्लिक करने के बाद, e-Voting का होम पेज खुल जाएगा।

स्टेप 2 का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट कैसे डालें?

- स्टेप 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, "Active Voting Cycles" पर क्लिक करें।

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically. You can use the Mobile App of NSDL.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is In300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company. For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

- If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- If you are using NSDL e-Voting system for the first time, request at **evoting@nsdl.co.in** mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address or you may call at NSDL helpdesk at 1800-222-990.

6. If you are unable to retrieve or have forgotten your password:

- Click on 'Forgot User Details/Password?' (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
- 'Physical User Reset Password?' (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com
- If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at **evoting@nsdl.co.in** mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.
- Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to 'Terms and Conditions' by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on 'Login' button.

9. After you click on the 'Login' button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is mentioned below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

- After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.

2. “Active Voting Cycles” पर क्लिक करने के बाद, आप सभी कंपनियों को ‘EVEN’ देख पाएंगे, जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनका वोटिंग साइकिल सक्रिय स्थिति में है।
3. उस कंपनी का ‘EVEN’ चुनें जिसके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं।
4. अब आप ई—वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि आपका वोटिंग पेज खुल गया है।
5. समुचित विकल्प चुनकर आप अपना वोट डाल सकते हैं, अर्थात्, जिनको आप अपना वोट देना चाहते हैं उन शेयरों की संख्या पर सहमति या असहमति, सत्यापन, संशोधन कर “सबमिट” पर क्लिक करें और अपने वोट को “कंफर्म” करें।
6. पुष्टि करने के बाद, “सफलतापूर्वक वोट डाला गया” संदेश प्रदर्शित होगा।
7. आप पुष्टि पृष्ठ के प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
8. एक बार संकल्प पर अपना वोट डालने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात्, व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन कॉपी (पीडीएफ जेपीजी प्रारूप) को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ, जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं को संवीक्षक को evoting@nsdl.co.in पर अंकित प्रति के साथ agc.scrutinizer@gmail.com पर ई—मेल द्वारा अवश्य भेजे।
2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई—वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ‘Forgot User Details/Password?’ or ‘Physical User Reset Password?’ विकल्प पर जाना होगा।
3. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संदर्भित कर सकते हैं जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध है या शेयरधारकों के लिए ई—वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका या टोल फ्री नंबर: 1800—222—990 पर कॉल कर सकते हैं या 02224994545 पर सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक से संपर्क करें या [Pallavid@nsdl.co.in/](mailto:Pallavid@nsdl.co.in) evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें।
- ii. सुश्री आशु गुप्ता एंड कंपनी (ई—मेल आईडी agc.scrutinizer@gmail.com) में कार्यरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ 4123, सीपी नं. 6646) को बैंक द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई—वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- iii. संवीक्षक, एजीएम के दौरान हुई वोटिंग के तुरंत बाद डाले गए वोटों की गिनती करेगा तत्पश्चात दो (2) साक्ष्यों की उपस्थिति में जो बैंक के नियोजन में न हों, वोट अनब्लॉक करेगा और ईजीएम की समाप्ति के 48 घंटों के अन्दर बैठक के अध्यक्ष को समेकित संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति प्रतिहस्ताक्षर करेगा तथा वोटिंग के परिणामों की घोषणा करेगा।
- iv. समेकित संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों की घोषणा, बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर अध्यक्ष द्वारा परिणामों की घोषणा के पश्चात तत्काल सूचित कर दिया जाएगा।

11. शेयरधारकों से अपील

कागज बचाने हेतु, डीमैट खातों में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीमैट खाते में अपना ई—मेल आईडी पंजीकृत (यदि पंजीकृत नहीं हैं) करें जिससे नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संसूचना ई—मेल के माध्यम से भेजे जा सकें।

शेयरधारक जिन्होंने भौतिक रूप में शेयर धारित कर रखे हैं, से अनुरोध किया जाता है कि वे आरटीए को मेल—आईडी के माध्यम से नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य संसूचना प्राप्त करने के लिए अपना अनुरोध (उनके फोलियो नंबर के साथ) भेजकर ई—मेल आईडी निम्नलिखित पते पर अद्यतन कराएं।

2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies 'EVEN' in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select 'EVEN' of company for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.
6. Upon confirmation, the message 'Vote cast successfully' will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to agc.scrutinizer@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the 'Forgot User Details/Password?' or 'Physical User Reset Password?' option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, at 02224994545 or send a request at Pallavid@nsdl.co.in / evoting@nsdl.co.in.
- II. Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary (Membership No. F4123, CP No. 6646) of M/s Ashu Gupta & Co. (email ID – agc.scrutinizer@gmail.com) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- III. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the EGM, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the EGM and the Chairman or a person authorised by him in writing who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- IV. The Results along with the Consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.pnbindia.in and on the website of Stock Exchanges immediately after the result is declared by the Chairman.

11. APPEAL TO SHAREHOLDERS

To save papers, shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to **get register** (if not registered) their **email ID in their Demat Account** so that notices/Annual Reports & other communication may be sent through E-Mail.

बीटल फाइनेंशियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड (यूनिट: पीएनबी), बीटल हाउस,
तृतीय तल, 99, मदनगिरी, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, नई दिल्ली – 110062
दूरभाष सं. 011-29961281/ 82 / 83, फैक्स: 011-29961284.
ई-मेल: beetal@beetalfinancial.com

व्याख्यात्मक कथन

सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2018 के अधीन व्याख्यात्मक कथन एवं प्रकटीकरण निम्नवत है:-

1. अधिमान आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयरों का निर्गम

क. अधिमान निर्गमों का उद्देश्य – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी सुदृढ़ करने की पहल में भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में अपनी धारिता बढ़ाने का निर्णय लिया है।

तदनुसार भारत सरकार ने अपने पक्ष में इक्विटी के अधिमानी आवंटन के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक में रुपये 16091 करोड़ (रुपए सोलह हजार इक्यानबे करोड़ मात्र) बढ़ाने का निर्णय लिया है।

ख. इसलिए सेबी आईसीडीआर विनियमनों 2018 के विनियमन 164(1) के अनुसार निर्धारित रु.73.42 के प्रीमियम पर रुपये 16091 करोड़ **(रुपए सोलह हजार इक्यानबे करोड़ मात्र)** तक की कुल राशि के रु.2/- अंकित मूल्य के 2,13,35,18,960 इक्विटी शेयरों को नकद आधार पर भारत सरकार के पक्ष में सेबी दिशा-निर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों के अधिमान निर्गम करने हेतु शेयरधारकों से अनुमोदन माँगा जाता है।

ग. यह संपूर्ण अधिमान निर्गम भारत सरकार – बैंक के प्रवर्तक द्वारा सब्सक्राइब किया जायेगा। इक्विटी शेयरों के जारीकरण के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु सेबी (आईसीडीआर विनियम) समय-समय पर यथासंशोक्ति के अनुसार, अधिमान्य जारीकरण के लिए प्रासंगिक तिथि, असाधारण आम बैठक की तिथि से 30 दिन पहले की तिथि 04.10.2019 होगी (05.10.2019 को सप्ताहांत होने के कारण)।

ग. शेयरों के जारी करने से पूर्व और पश्चात् शेयरधारिता का स्वरूप निम्नवत् होगा :-

क्रम सं.	वर्ग	निर्गम से पहले		निर्गम के पश्चात	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत
अ	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	347,16,92,263	75.41	560,52,11,223	83.19
ब	गैर- प्रवर्तक धारिता	113,23,54,765	24.59	113,23,54,765	16.81
	कुल	460,40,47,028	100.00	673,75,65,988	100.00

घ) बैंक का सेबी आईसीडीआर विनियमनों में यथा निर्दिष्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्गम प्रक्रिया पूरा करने का प्रयास है।

च) चूंकि सम्पूर्ण निर्गम भारत सरकार, प्रमुख शेयरधारक और बैंक के प्रवर्तक को अधिमान आधार पर आबंटित किया जाना प्रस्तावित है, अतः नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।

घ. भारत सरकार की पूर्व और पश्चात् निर्गम शेयरधारिता निम्नवत् होगी :-

	शेयरों की संख्या	पूंजी का अनुपात
निर्गम पूर्व	347,16,92,263	75.41 %
निर्गम-पश्चात	560,52,11,223	83.19 %

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to update their email ID with RTA by sending their request (along with their Folio Number) for receiving the notices/Annual Reports & other communication through their mail-ID, at following address:

Beetal Financial & Computer Services (P) Limited (Unit: PNB), 'Beetal House',
3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi 110062,
Tel. No. 011-29961281/82/83, Fax: 011-29961284.
E-mail: beetal@beetalfinancial.com

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure in terms of SEBI (ICDR) Regulations 2018 is as follows:

1. Issue of Equity Shares on preferential basis to GOI

- a) Objects of the Preferential Issue - In an initiative to strengthen the capital adequacy of the Public Sector Banks (PSBs), the Government of India decided to raise its holding in these Banks.

Accordingly GoI has decided to infuse a sum up to Rs.16,091 crore (Rupees Sixteen Thousand Ninety One Crore only) in Punjab National Bank by way of preferential allotment of equity in favour of Government of India.

- b) Shareholder approval is therefore sought for issue of 2,13,35,18,960 Equity Shares of Rs 2/- each fully paid for cash at a premium of Rs. 73.42 determined in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 up to an amount of Rs. 16,091 crore (Rupees Sixteen Thousand Ninety One Crore only), through preferential issue of equity shares in favour of the GoI, as per SEBI guidelines.
- c) The entire preferential issue will be subscribed by the GoI – the promoter of the Bank.
The **relevant date** for the preferential issue, as per the SEBI (ICDR Regulations), as amended from time to time, for the determination of price for the issue of the above mentioned Equity Shares shall be 04.10.2019 being the date 30 days prior to the date of Extraordinary General Meeting (05.10.2019 being weekend).

- d) Shareholding pattern before and after the issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of shares held	Percentage shareholding	No. of shares held	Percentage shareholding
A	Promoter's Holding (GoI)	347,16,92,263	75.41	560,52,11,223	83.19
B	Non–Promoter Holding	113,23,54,765	24.59	113,23,54,765	16.81
	Total	460,40,47,028	100.00	673,75,65,988	100.00

- e) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- f) As the entire issue is proposed to be allotted to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, on preferential basis, there would not be any change in control.

- च. बैंक के इक्विटी शेयरों का सूचीयन छब्बीस सप्ताह से अधिक समय पहले हो चुका है और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 164(3) व 167(5) के प्रावधानों और सेबी आईसीडीआर विनियम 2018 के विनियम 163(1) (जी) और (एच) के तहत प्रकटीकरण लागू नहीं हैं ।
- छ. जारी किये जाने वाले और भारत सरकार को आबंटित किये जाने वाले सभी इक्विटी शेयर आबंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध होंगे । आबंटिती (अर्थात भारत सरकार) की सम्पूर्ण पूर्व अधिमान्य आबंटित शेयरधारिता व्यापार अनुमोदन की प्रासंगिक तिथि से छह माह की अवधि तक अवरुद्ध रहेंगी ।
- ज. सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक द्वारा इस आशय का प्रमाणपत्र कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षानुसार जारी किया जा रहा है, निर्गम बैठक में पटल पर रखा जायेगा ।
- झ. भारत सरकार द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर डीमेट रूप में हैं और स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीयन करार में विनिर्दिष्टानुसार इक्विटी शेयरों को लगातार सूचीबद्ध करने की शर्त का अनुपालन करता है ।
- ट. भारत सरकार के पक्ष में इक्विटी शेयरों का जारीकरण किसी संशोधन सहित इसके लिए उस समय लागू सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 के विषयाधीन होंगे ।
- ठ. बैंक यह वचन देता है कि जारीकर्ता इन नियमों के प्रावधान के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की फिर से गणना करेगा, जहां ऐसा करने की आवश्यकता है ।
- ड. बैंक यह वचन देता है कि यदि इन नियमों में निर्धारित समय के भीतर कीमत का पुनः अभिकलन करने पर देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो आबंटियों द्वारा रकम की अदायगी तक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को लॉक-इन रखा जाएगा ।
- ढ. भारत सरकार, प्रासंगिक तिथि से पूर्व छह माह के दौरान बैंक के किसी भी इक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की गई है ।
- ण. सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और सेबी आईसीडीआर विनियम 2018 के विनियमन 160 के अनुसार, अधिमान्य आधार पर शेयर जारी और आबंटित करने के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है ।
- त. आपके निदेशकों ने नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्पों को पास करने की संस्तुति की है ।
- थ. बैंक के किसी भी निदेशक का बैंक में उनकी मौजूदा शेयरधारिता यदि कोई हो, को छोड़कर संकल्प से कोई संबंध या हित नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक


(पी के शर्मा)
मुख्य वित्त अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 03.10.2019

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre-issue	347,16,92,263	75.41 %
Post – issue	560,52,11,223	83.19 %

- e) The equity shares of the Bank have been listed for more than twenty six weeks and accordingly, provisions of Regulation 164 (3) and 167 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 163 (1) (g) & (h) of SEBI ICDR Regulations, 2018 are not applicable.
- f) All the equity shares to be issued and allotted to the Gol shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval. The entire pre-preferential allotment shareholding of the allottee (i.e Gol), shall be locked-in from the relevant date upto a period of six months from the date of trading approval
- g) The Certificate issued by the Statutory Central Auditor certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Meeting.
- h) All the equity shares held by the Gol are in dematerialized mode and the Bank has complied with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- i) The issuance of equity shares in favour of Gol shall be subject to SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as may be applicable at the relevant time including any amendments thereof.
- j) The Bank undertakes that the issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so.
- k) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked- in till the time such amount is paid by the allottee.
- l) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- m) In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 160 of the SEBI ICDR Regulations 2018, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis.
- n) Your directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.
- o) None of the Directors of the Bank is concerned or interested in the resolution, except to the extent of their shareholding, if any in the Bank.

By order of the Board of Directors
For **PUNJAB NATIONAL BANK**

Place: New Delhi
Date: 03.10.2019


(P K Sharma)
Chief Finance Officer

प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075

फॉर्म— “बी”

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

रजिस्टर्ड फोलियो सं. (मूर्त शेयरों के लिए)	
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं.	
शेयरों की संख्या	

मैं/हम _____ निवासी _____ पंजाब नैशनल बैंक के
शेयरधारक होने के नाते एतदद्वारा _____ के निवासी श्री/श्रीमती
_____ को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर
_____ के निवासी श्री/श्रीमती _____ को
सोमवार, 4 नवम्बर 2019 को प्रातः 10.00 बजे बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में जो पंजाब नैशनल बैंक, मल्टीपेर्पज हॉल, प्रधान
कार्यालय, प्लॉट संख्या. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में आयोजित होगी तथा उसके अधिस्थगित होने पर मेरी / हमारी ओर से मेरे /
हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं ।

कृपया रसीदी
टिकट चिपकाएं

वर्ष 2019 के _____ मास की _____ तारीख को हस्ताक्षरित

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

Head Office: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075

FORM 'B'
FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID - Client ID No.	
No of shares.	

I/We, _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder/s of Punjab National Bank, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on **MONDAY, THE 04th NOVEMBER, 2019 AT 10.00 A.M., at Multipurpose Hall of Punjab National Bank, Head Office, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075** and at any adjournment thereof.

Revenue Stamp

Signed this _____ day of _____ 2019.

Signature of sole/first holder

Signature of the Proxy _____

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. कोई भी प्रॉक्सी दस्तावेज तब तक वैध नहीं होगा जब तक:

- क. व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या विधिवत् लिखित रूप में अधिकृत एटॉर्नी हस्ताक्षर करेगा ।
- ख. संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत एटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे ।
- ग. निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा सामान्य मोहर, यदि हो, तो लगाकर इन्हें हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया जाएगा या अन्यथा लिखित रूप से विधिवत् अधिकृत एटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे ।
- घ. फार्म बी में होंगे और विधिवत् रूप से स्टैम्प होंगे ।

2. प्रॉक्सी दस्तावेज जिस पर शेयरधारक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब उसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार एसोरेंस द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नेशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो ।

3. प्रॉक्सी के साथ :

- क. एटॉर्नी की शक्तियाँ या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई है) जिसके तहत इसे हस्ताक्षर किया गया है या
 - ख. प्रॉक्सी फार्म के साथ नोटरी पब्लिक या एक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित उक्त मुख्तारनामे या प्राधिकार पत्र की हस्ताक्षरित प्रति को पंजाब नेशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075 के पास असाधारण आम बैठक की तिथि से 4 दिन पहले **बुधवार, 30 अक्टूबर 2019 को कार्यसमय के समाप्ति के पहले अर्थात् सायं 5.00 बजे तक** जमा करवा दिया जाए ।
4. यदि संबंधित मुख्तारनामा पंजाब नेशनल बैंक या इसके शेयर अंतरण एजेंट के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मुख्तारनामे की पंजीकरण संख्या तथा ऐसे पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए ।
5. बैंक के पास जमा प्रॉक्सी दस्तावेज अंतिम व अपरिवर्तनीय होगा ।
6. वैकल्पिक रूप में, दो गारंटर्स के पक्ष में की गई एक दस्तावेज की प्रॉक्सी के मामले में, एक से ज्यादा फार्म को निष्पादित नहीं किया जाए ।
7. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी का दस्तावेज निष्पादित किया हो वह बैठक में उस दस्तावेज से सम्बद्ध वोट देने का पात्र नहीं होगा ।
8. इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा । ऐसे में प्रॉक्सी प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा ।
9. पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को वैधानिक रूप से प्राधिकृत या प्रॉक्सीधारक नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - c. in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
 - d. shall be in the Form B and duly stamped.
2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
3. The proxy together with:
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Punjab National Bank, Head Office, Finance Division, Share Department, Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110 075 not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 5.00 P.M. of Wednesday, 30th October, 2019.**
4. In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.

प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075
HEAD OFFICE: Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075

असाधारण आम बैठक, सोमवार, 04 नवम्बर, 2019 समय प्रातः 10.00 बजे
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, MONDAY, 04th NOVEMBER, 2019 AT 10.00 AM

पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075
AT PNB HEAD OFFICE, PLOT NO. 4, SECTOR 10, DWARKA, NEW DELHI 110075

उपस्थिति पर्ची / ATTENDANCE SLIP

(उपस्थिति के पंजीकरण के समय सुपुर्द करने हेतु)

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं० REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

प्रधान कार्यालय : प्लॉट संख्या. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, 110075
HEAD OFFICE : Plot No. 4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075

असाधारण आम बैठक, सोमवार, 04 नवम्बर, 2019 समय प्रातः 10.00 बजे
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, MONDAY, 04th NOVEMBER, 2019 AT 10.00 AM

प्रवेश पास / ENTRY PASS

(बैठक के दौरान अपने पास रखना है)

(To be retained throughout the meeting)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि) NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं० REGD.FOLIO/DPID & CLIENT ID No.	शेयरों की संख्या Number of Shares
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास को बैठक कक्ष में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पास वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा, जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, कोई भी डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा।

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued.

